



प्रेषक,
अनिल कुमार,
संयुक्त सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,
जिलाधिकारी,
गाजीपुर।

औद्योगिक विकास अनुभाग-3

लखनऊ: दिनांक: 24 फरवरी, 2020

विषय- वित्तीय वर्ष 2019-20 में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना हेतु भूमि क्रय हेतु ₹0 68.00 करोड़ जिलाधिकारी, गाजीपुर को आवंटित करने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक यूपीडा के पत्रांक-1767/यूपीडा/599-2, दिनांक 13.02.2020 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2. अवगत कराना है कि वित्तीय वर्ष 2019-20 में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना हेतु अनुदान सं०-07 के लेखाशीर्षक "5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-03-राज्य राजमार्ग-337-सड़क निर्माण कार्य-04-पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना-24 वृहद निर्माण कार्य के अन्तर्गत ₹0 2544.33 (1194.33+850+500) करोड़ का प्राविधान किया गया है। उक्त प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष कुल ₹0 2420.51 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की जा चुकी है। सम्प्रित धनराशि ₹0 123.82 करोड़ अवशेष है।

2. यूपीडा के उक्त पत्र दिनांक 13.02.2020 में की गयी संस्तुति के दृष्टिगत अवशेष धनराशि ₹0 123.82 करोड़ में से जिलाधिकारी, गाजीपुर को भूमि क्रय/अधिग्रहण मद में धनराशि ₹0 68.00 करोड़ (₹0 अड़सठ करोड़ मात्र) स्वीकृत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

3. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अवशेष धनराशि ₹0 123.82 करोड़ में से जिलाधिकारी, गाजीपुर को भूमि क्रय/अधिग्रहण मद में धनराशि ₹0 68.00 करोड़ (₹0 अड़सठ करोड़ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन निर्गत किये जाने की श्री राज्यपाल स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- (1) धनराशि आहरित करके जिलाधिकारी, गाजीपुर के डिपॉजिट खाते में जमा की जायेगी।
 - (2) उक्त धनराशि का आहरण डिपॉजिट खाते से केवल तात्कालिक आवश्यकता के अनुसार ही किया जायेगा।
 - (3) धनराशि का आहरण करके यूपीडा के बैंक खाते में अथवा किसी अन्य बैंक खाते में नहीं रखी जायेगी।
 - (4) यूपीडा का यह भी दायित्व है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष जिलाधिकारी, गाजीपुर से उपयोगिता प्रमाण प्राप्त कर व्यय की जाने वाली धनराशि से अपने को पूर्णरूप से संतुष्ट करने के उपरान्त शासन को उपलब्ध कराया जाये।
 - (5) धनराशि का आहरण सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरान्त नियमानुसार किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि को व्यय किये जाने से पूर्व वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय जाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनांक 22.03.2019 द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
 - (6) उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है।
 - (7) किसी भी परिस्थिति में धनराशि को आहरित कर बैंक/पी०एल०ए० खाते में नहीं रखा जायेगा।
5. उपर्युक्त प्रस्तर-3 में स्वीकृत की जा रही धनराशि ₹0 68.00 करोड़ (₹0 अड़सठ करोड़ मात्र) का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 की अनुदान संख्या-007 के लेखाशीर्षक "5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-03-राज्य राजमार्ग-337-सड़क निर्माण कार्य-04-पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना-24 वृहद निर्माण कार्य" के नामों डाला जायेगा।
6. उक्त आदेश वित्त विभाग के कार्यालय जाप सं०-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनांक 22.03.2019 द्वारा प्रतिनिधानित शक्तियों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

अनिल कुमार
संयुक्त सचिव

संख्या-9/2020/508(1)/77-3-2020,तद्विनांक।

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र०, इलाहाबाद।
3. मुख्य कार्यपालक अधिकारी,यूपीडा,पर्यटन भवन,गोमतीनगर,लखनऊ।
4. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, गाजीपुर ।
5. निदेशक,वित्त सांख्यिकीय निदेशालय,जवाहर भवन,लखनऊ।
6. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-6,औद्योगिक विकास अनुभाग-2
7. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-4
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

अनिल कुमार
संयुक्त सचिव

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।